

२७-०३-१८

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बार-बार  
आवाज लगाई गई किन्तु वादी असाक्षर या  
वकालतन उपस्थित नहीं आया। अतः दावा वादी  
अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया  
जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर दो  
क्रम हो सकें अतः तक्मील जमा जिला अफिस  
हो।

सहायक कलेक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी